न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	61/2024
दायर दिनांक	:	06.08.2024
निर्णय दिनांक	:	23.04.2025

1. भगवतीदेवी पत्नी रमेश जाति बैरवा, निवासी ग्राम कालाखो तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी * जिला दौसा * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम कालाखो की रहने वाली है। ग्राम कालाखो में कृषि भूमि खसरा नम्बर 45/2 रकबा 0.25 है. स्थित है। जिसकी प्रार्थी एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में फसल पैदा करती है। अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहती है। प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी दिनांक 11.06.2024 को कराया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की खसरा नम्बर 45/2 रकबा 0.25 है. वाके ग्राम कालाखो की मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहती है। तहसीलदार भाण्डारेज के जवाब से प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने, प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जाने एवं प्रश्नगत आराजी पर स्थगन नहीं होने की पुष्टि होती है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम कालाखो तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 45/2 रकबा 0.25 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:35 IST
Reason: SelfAttested

खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से सामन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:35 IST
Reason: SelfAttested